UPSI010039202026
न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।
उपस्थितः–आशीष जैन, एच.जे.एस.
सी.आई.एस.नं.–1736/2026
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–297/2026

हरेन्द्र सिंह उम्र 41 वर्ष पुत्र श्री सुन्दरलाल निवासी ग्राम टीकैत पोस्ट बिसवार थाना सादाबाद कोतवाली, जनपद हाथरस(उ०प्र०)।

आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ 0 प्र 0 सरकार। अभियोजक।

मु0 अ 0 सं0–176/2026
अन्तर्गत धारा 319(2), 318(4),
338, 336(3), 340(2) बी0 एन 0 एस 0
थाना–पिसावाँ, जिला सीतापुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

मु0 अ 0 सं0–176/2026, अन्तर्गत धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी0 एन 0 एस 0, थाना पिसावाँ, जिला सीतापुर से सम्बन्धित आवेदक/अभियुक्त हरेन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर विद्वान अधिवक्ता आवेदक/अभियुक्त व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्को को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ अभियुक्त द्वारा स्वयं का शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कथन सत्य हैं, इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न तो इस न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दिया गया है और न ही विचाराधीन है और न निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि खण्ड शिक्षा अधिकारी पिसावाँ, जिला सीतापुर द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया कि अभियुक्त हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुन्दरलाल निवासी ग्राम टीकैत पोस्ट बिसवार थाना सादाबाद कोतवाली, जनपद हाथरस(उ०प्र०) को 12460 शिक्षक भर्ती के अन्तर्गत सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया और उसने दिनांक 01.07.2024 को प्राथमिक विद्यालय ठकुरेपुर, विकास क्षेत्र पिसावाँ जनपद सीतापुर में कार्यभार ग्रहण किया। नियुक्ति हेतु काउंसिलिंग के समय यू०पी०टी०ई०टी० वर्ष 2014 का अंकपत्र क्रमांक 107021 अनुक्रमांक 0710301289 प्रस्तुत किया गया, जो सत्यापन के दौरान सत्यापन परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ०प्र०

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.06.11 17:29:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur

प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं पायी गयी। इसके बाद इसे ऑफलाइन सत्यापन के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज को भेजा गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.03.2025 में स्पष्ट किया कि उक्त अनुक्रमांक आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार आवंटित नहीं किया गया है और अंकपत्र जाली एवं कूटरचित है। अभियुक्त को स्पष्टीकरण स्वयं अथवा प्रस्तावकर्ता की सहायता से 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु हरेन्द्र सिंह द्वारा अपने फर्जी/कूटरचित प्रपत्रों की सत्यता के सम्बन्ध में कोई विधिसंगत तथ्यात्मक अभिकथन/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि हरेन्द्र सिंह द्वारा अपने फर्जी/कूटरचित यू०पी०टी०ई०टी० अंकपत्र वर्ष 2014 की सत्यता के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। फलस्वरूप उसकी सेवा समाप्त (पदच्युत) कर दिया गया और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर के निर्देशानुसार अभियुक्त के विरूद्ध जालसाजी एवं धोखाधड़ी से सरकारी सेवा प्राप्त करने के आरोप में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु शिकायत की गयी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर के आदेश के क्रम में हरेन्द्र सिंह के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत के संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि तथाकथित वाद की प्राथमिकी में प्रार्थी को नुकसान पहुँचाने की नियत से झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष व बेगुनाह व्यक्ति है। तथाकथित वाद की प्राथमिकी में दर्शाये गये समस्त तथ्य असत्य व निराधार हैं, जिनसे प्रार्थी/अभियुक्त का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। वाद की प्राथमिकी खण्ड शिक्षाधिकारी पिसावाँ द्वारा उपरोक्त धाराओं में थाना पिसावाँ में दिनांक 23.04.2026 समय 15:39 बजे दर्ज करायी गयी है। तथाकथित प्राथमिकी शासन के दबाव में पंजीकृत करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त को विभाग के सत्यापन के बाद ही चयन प्रक्रिया में चयनित होने पर ग्राम ठकुरेपुर में प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया था। चयन होने के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा समस्त शैक्षिक प्रपत्र दाखिल किये गये। जाँचोपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जिसके पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त ने पूर्ण निष्ठा व लगन के साथ नियुक्ति पत्र के सम्मान में सेवा देना प्रारम्भ किया। प्रार्थी/अभियुक्त के प्रपत्रों की जाँच के सम्बन्ध में पुनः प्रार्थी को अवगत नहीं कराया गया तथा नोटिस देकर दिनांक 23.04.2026 को प्राथमिकी पंजीकृत करा दी गयी। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज करायी गयी प्राथमिकी सेवा नियमावली के विरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त को व्यक्तिगत व सामाजिक बेइज्जती करने के इरादे से प्राथमिकी पंजीकृत करायी गयी है। विभाग प्रार्थी/अभियुक्त को थाना पिसावाँ की पुलिस द्वारा पकड़वाकर बेइज्जती करना चाहता है। उपरोक्त कथन करते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ० द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया तथा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का कथन किया है।

पुलिस प्रपत्रों व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामले में आवेदक के विरूद्ध उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालय ठकुरेपुर विकास क्षेत्र पिसावाँ, जिला सीतापुर में फर्जी व कूटरचित शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पाने का आरोप है। आवेदक के शैक्षिक अभिलेखों को निर्गमन संस्था से सत्यापित कराये जाने पर शैक्षिक अभिलेख कूटरचित व फर्जी पाये जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर द्वारा उसकी सेवा समाप्त की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उक्त प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मामले में प्रथमदृष्टया विधि प्राविधानों का दुरूपयोग परिलक्षित नहीं हो रहा है। इस स्तर पर आवेदक अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी उसकी क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से की जा रही हो। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का कोई संतोषजनक आधार नहीं पाया जाता है। अतः आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या–176/2026, अन्तर्गत धारा 319(2),318(4), 338,336(3),340(2) बी0 एन 0 एस 0, थाना पिसावाँ, जिला सीतापुर के प्रकरण में वाँछित आवेदक/अभियुक्त **हरेन्द्र सिंह** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–11.06.2026

(आशीष जैन)
सत्र न्यायाधीश
सीतापुर।
J.O.Code–UP–2024

Dheer/–

CNR**UPSI010039202026**